

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (श्रम पक्ष)
-पदस्थापन आदेश-

का०आ०सं०-5/आर०एल०-40-51/2022 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

CWJC No- 19558/2016 (अनिता देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-17.05.2021 को पारित न्यायादेश, मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा एवं विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश संख्या-361 दिनांक-21.01.2026 द्वारा श्रीमती अनिता देवी, उच्चवर्गीय लिपिक श्रम अधीक्षक कार्यालय, हाजीपुर को उनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक-13.10.2016 से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान किया गया है। श्रीमती अनिता देवी, नव प्रोन्नत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को अगले आदेश तक स्तंभ-4 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	नव पदस्थापन
1	2	3	4
01	श्रीमती अनिता देवी	सारण, छपरा	सिवान सदर, सिवान

2. श्रीमती अनिता देवी को निदेश दिया जाता है कि तुरन्त अपने नव पदस्थापन स्थल पर योगदान देंगे तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक को देंगे।

ह०/-
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-5/आर०एल०-40-51/2022 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-5/आर०एल०-40-51/2022 श्र०सं०-

502

पटना, दिनांक-

30/01/26

प्रतिलिपि- सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सिवान/उप श्रमायुक्त, सारण, छपरा/श्रम अधीक्षक, सिवान/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) एवं श्रीमती अनिता देवी, नव प्रोन्नत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/01/26
श्रमायुक्त, बिहार